दैनिक भास्कर

जयपुर, [illegible]

लोकायुक्त ने सिविल लाइन जोन उपायुक्त पर 2 हजार अर्थदंड लगाया

जयपुर। लोकायुक्त न्यायमूर्ति एस.एस. कोठारी ने निगम के सिविल लाइन जोन उपायुक्त राम रतन को दो हजार रू. के अर्थदंड से दंडित किया। जोन उपायुक्त राम रतन ने लोकायुक्त के चार मंजिला भवनों पर अवैध निर्माणों के सर्वे के मामले में तीन सम्मन तथा तीन कारण बताओ नोटिसों की पालना नहीं किया। लोकायुक्त कोठारी ने जेडीए व निगम को शहर में चार मंजिला भवनों का सर्वे करने का आदेश दिया था। जिनमें बिना अनुमति के पांचवीं मंजिल पर पेंट हाउस आदि का निर्माण कर लिया गया। जेडीए ने सर्वे कर 89 भवन मालिकों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये। जिनमें 45 प्रकरणों में सजा सुनाई गई और पांच प्रकरणों में अवैध निर्माण तोड़े गये।